संख्या 27/17/2011–एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003
दिनांक 23/01/2012

आदेश 01 /2012

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि श्री सतोष कुमार आरक्षी टी एफ ए एल 1897 तथा श्री फिरोज आलम, आरक्षी टी एफ ए एल 2884, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहे थे, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहे थे , को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझे जायेगें।

परन्तु यदि उन्हेंने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, तो उनका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, तो उनका आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।

परन्तु यदि उन्हेने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, तो उनको न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा।

इन कार्मिकों का अंतिम आबंटन परामर्शदात्री समिति की दिनांक 17/10/2011 को हुई बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है ।

(के. पी. के. नंबीशन)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
4. श्री आर. के. सुधाशुं अपर सचिव एवं पुनर्गठन आयुक्त उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून।